N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0027 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/02/2025 18:09 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 05/02/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:15 बजे **Time To (समय तक):** 16:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/02/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/02/2025 18:09:50 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 65 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** TAHASIL KE PASS SINDHRI, JILA BALOTARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name(नाम): RATAN SINGH URF POKRARAM
(b) Father's Name (पिता का नाम): PNNALAL
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1947
(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No(यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHANNE KI DHANI, SINDHARI, SINDHARI, बालोतरा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHANNE KI DHANI, SINDHARI, SINDHARI, बालोतरा, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):
Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KISHANARAM		पिता:LABHURAM	1. GRAM ADARSHCHVA,BARMER,RAJAS

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 30,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर। विषय- पटवारी सिणधरी/कमठाई द्वारा रिश्वत की मांग पर कानूनी कार्यवाही बाबत्। महोदय, उपरोक्त विशयान्तर्गत मुझ प्रार्थी रतनसिंह उर्फ पोकराराम पुत्र श्री पन्नालाल, जाति जाट, निवासी धन्ने की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा की अर्ज यह हैं कि मेरी पुत्र वधु श्रीमति हरखूदेवी पत्नि श्री जस्साराम के नाम से बाड़मेर-जालोर स्टेट हाईवे पर एक कृषि भूमि खसरा नं. 75 एंव स्टेट हाईवे खसरा नंबर 75 के मध्य से निकलने के कारण इस खसरे से विभाजित हुए खसरा नंबर 834/719 में से एक बीघा भूमि के व्यवसायिक सम्परिवर्तन हेतु मैंने कागजात तैयार कर श्री किशनाराम गोदारा पटवारी, पटवार हल्का सिणधरी/कमठाई को दिये तो व्यवसायिक सम्परिवर्तन हेतु पत्रावली तैयार कर तहसीलदार/एस.डी.ओ. सिणधरी के समक्ष पेश कर सम्परिवर्तन आदेश जारी कराने की ऐवज में पटवारी ने मेरे से 90,000 रू. रिश्वत राशि की मांग कर कुछ रोज पूर्व मेरे से 60,000 रू. ले लिये, किन्तु अभी तक उसने मेरा काम करवाकर सम्परिवर्तन आदेश जारी करवाकर मुझे नहीं दिया हैं, इस पर मैंने पटवारी से दिनांक 30.01.2025 को सम्पर्क किया तो पटवारी ने कहा कि 30,000 रू. ओर खर्चा-पानी दो तो आपकी पत्रावली तैयार कर एस.डी.ओ. साहब से आदेश करवाकर आपको दे दूंगा, अन्यथा किसी ओर से जाकर करवा लो, जबकि मैंने पता किया तो मेरे सम्परिवर्तन कार्य की ऐवज में पत्रावली व्यय एंव शुल्क सहित समस्त खर्चा लगभग 25000 रू. होता हैं, इसलिए मैं मेरे जायज कार्य की ऐवज में पटवारी सिणधरी/कमठाई श्री किशनाराम गोदारा को जायज खर्चे से अधिक रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, मैं उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, मेरे व पटवारी के बीच कोई रंजिश व रूपये-पैसों का लेन-देन बकाया नहीं हैं। मुझे मेर पुत्र व पुत्र वधु ने पटवारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु एसीबी ऑफिस भेजा हैं। अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें। -एस.डी.- गवाह श्री राजपालसिंह कनिष्ठ सहायक/05.02.2025 -एस.डी.- गवाह श्री सवाईराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी /05.02.2025 प्रार्थी -एस.डी.- रतनसिंह उर्फ पोकराराम पुत्र श्री पन्नालाल, जाति जाट, निवासी धन्ने की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरामोबाईल नंबर- [redacted] व [redacted] -एस.डी.- नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट दिनाँक 01.02.2025 वक्त 03.15 पी.एम. पर प्रार्थी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम पुत्र श्री पन्नालाल, जाति जाट, उम्र 78 वर्ष, पैशा खेती-बाड़ी, निवासी ग्राम धन्ने की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा, मोबाईल नंबर 7727030765 ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष मय संलग्न स्व-प्रमाणित आधार कार्ड व अपनी पुत्र वधु श्रीमति हरखूदेवी पत्नि श्री जसाराम के नाम के खेत खसरा सं. 834/719 के दस्तावेजात की स्व-प्रमाणित प्रतियों के इस आश्य की पेश की कि मेरी पुत्र वधु श्रीमति हरखूदेवी पत्नि श्री जस्साराम के नाम से बाड़मेर-जालोर स्टेट हाईवे पर एक कृषि भूमि खसरा नं. 75 एंव स्टेट हाईवे खसरा नंबर 75 के मध्य से निकलने के कारण इस खसरे से विभाजित हुए खसरा नंबर 834/719 में से एक बीघा भूमि के व्यवसायिक सम्परिवर्तन हेतु मैंने कागजात तैयार कर श्री किशनाराम गोदारा पटवारी, पटवार हल्का सिणधरी/कमठाई को दिये तो व्यवसायिक सम्परिवर्तन हेतु पत्रावली तैयार कर तहसीलदार/एस.डी.ओ. सिणधरी के समक्ष पेश कर सम्परिवर्तन आदेश जारी कराने की ऐवज में पटवारी ने मेरे से 90,000 रू. रिश्वत राशि की मांग कर कुछ रोज पूर्व मेरे से 60,000 रू. ले लिये, किन्तु अभी तक उसने मेरा काम करवाकर सम्परिवर्तन आदेश जारी करवाकर मुझे नहीं दिया हैं, इस पर मैंने पटवारी से दिनांक 30.01.2025 को सम्पर्क किया तो पटवारी ने कहा कि 30,000 रू. ओर खर्चा-पानी दो तो आपकी पत्रावली तैयार कर एस.डी.ओ. साहब से आदेश करवाकर आपको दे दूंगा, अन्यथा किसी ओर से जाकर करवा लो, मैं मेरे जायज कार्य की ऐवज में पटवारी सिणधरी/कमठाई श्री किशनाराम गोदारा को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, मैं उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, मेरे व पटवारी के बीच कोई रंजिश व रूपये-पैसों का लेन-देन बकाया नहीं हैं। मुझे मेर पुत्र व पुत्र वधु ने पटवारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु एसीबी ऑफिस भेजा हैं। अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी ने अपना हाथ दर्द होने से रिपोर्ट अपने पौत्र श्री नरेश पुत्र श्री रावताराम की हस्तलिखित होकर इस पर अपने स्व-कलमी हस्ताक्षरित कर पेश करना व रिपोर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से इस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर

कार्यालय मालखाना से एच.एम. श्री सुराब हैड कानि. नं. 97 द्वारा निर्देशानुसार डिजीटल वाँयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया, जिन्हें आँपरेट करने बाबत् हाजिर परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम से समझाईश की जाकर कार्यालय हाजा के श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी से परस्पर परिचय करवाकर इनके मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु डिजीटल वाईस रिकार्डर को आपरेट करने बाबत् एक बार पुनः परिवादी व श्री बांकाराम कानि. को समझाईस की गई। ताबाद श्री बांकाराम कानि. को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम के साथ सिणधरी जाने हेतु निर्देषित किया गया, इस दौरान परिवादी ने बताया कि आज अवकाश का दिन हैं, इसलिए आरोपित पटवारी के मिलने की संभावना नहीं हैं अतःकल पता करके मेरे बताने पर बांकाराम कानि. को सिणधरी को भेजा जावें, इस पर श्री बांकाराम कानि. को उक्तानुसार मुनासिब हिदायत की गई। दिनाँक 02.02.2025 को प्रातः श्री बांकाराम कानि. नं. 584 ने बताया कि परिवादी से सम्पर्क हुआ हैं उसने बताया कि आरोपित पटवारी अपने कार्यालय कक्ष/क्वार्टर में हाजिर हैं। जिस पर श्री बाकाराम कानि. को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सैन डिस्क 16 जीबी के रवाना परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु सिणधरी की तरफ भेजा गया, जिसने उसी दिन दोपहर पश्चात कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर डिजिटल वाईस रिकार्डर स्वीच आँफ सुदा पेश कर बताया कि चौकी हाजा से रवाना होकर सिणधरी पंहुच नियत स्थान पर परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम से सम्पर्क कर उसे डिजीटल वाईस रिकार्डर मय इंस्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के आँन कर आरोपित श्री किशनाराम पटवारी से सम्पर्क करने हेतु पटवार घर/पटवारी के राजकीय क्वार्टर में भेजा एंव मैं वही आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी की वापसी के इन्तजार मे व्यस्त रहा। कुछ देर बाद परिवादी वापिस मेरे पास आया जिनसे डिजिटल रिकाँर्डर प्राप्त कर स्वीच आँफ कर अपनी अभिरक्षा मे लिया। परिवादी ने बताया कि मेरे कन्वेर्जन आदेश के संबध में आरोपी से वार्ता हुई हैं, वार्ता के दौरान आरोपी ने कहा कि पूर्व में आपसे 90,000 रू. की बात तय हुई थी, आपने पूर्व में मुझे **60,000 रू. दिये थे, बकाया 30,000 रू. देने पर ही आपका काम होगा, अन्यथा ओर किसी से काम करवा दो।** रिश्वती राशि का आगामी तीन-चार दिन में लेनदेन होना तय हुआ हैं, और परिवादी रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु पीछे रूकना चाहता था, जिस पर निर्देशानुसार रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु परिवादी को पीछे छोडकर मय डिजीटल वायस रिकार्डर के सिणधरी से रवाना सुदा उपस्थित आया हूं। जिस पर कानि. बांकाराम से डिजीटल वाँयस रिकार्डर प्राप्त कर रिकाँर्डिंग वार्तालाप सुना गया तो आरोपित पटवारी द्वारा परिवादी से 30,000 रू. रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। जिस पर उक्त प्रगति के संबध में उच्च अफसरान से हालात निवेदन कर आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जाकर आरोपित श्री किशनाराम पटवारी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया गया। दिनांक 03.02.2025 को श्री बांकाराम कानि. ने कार्यालय कक्ष में आकर अवगत करवाया कि परिवादी आरोपित पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नहीं कर पाया हैं, इसलिए आज कोई कार्यवाही संभव नही हैं, जिस पर कानि. श्री बांकाराम को सत्त रूप से परिवादी के सम्पर्क में रहने एंव आरोपित को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था उपरान्त सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 05.02.2025 को प्रातः परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया व बताया कि पटवारी श्री किशनाराम ने आज के रोज मुझे शेष रिश्वती राशि 30 हजार रू. लेकर सिणधरी स्थित अपने राजकीय क्वार्टर/पटवार घर पर बुलाया हैं, एंव यह भी कहा हैं कि बकाया राशि देकर अपना कन्वर्जन आदेश एंव संबधित भूमि का नक्षा मौका जो मेरे पास हैं, लेकर जाओ, जिस पर मैं आरोपित पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30 हजार रू. साथ लेकर आया हूं। इस पर उच्च अफसरान से हालात निवेदन कर आरोपित के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजित करने का निर्णय लिया जाकर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बाडमेर से जरिये तेहरीर श्री मिश्रीमल हैड कानि. के माध्यम से दो स्वतन्त्र गवाहान की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी कर दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछा तो उन्होनें अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री राजपालसिंह पुत्र श्री मोड़सिंह, जाति राजपूत, उम्र 25 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम रणधा, तहसील फतेहगढ, **जिला जैसलमेर, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेर, मोबाईल नंबर** [redacted] **व श्री** सवाईराम पुत्र श्री उम्मेदाराम, जाति मेघवाल, उम्र 35 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम गूंगा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेर, मोबाईल नंबर-[redacted] के रूप में दिया। दोनों स्वतंत्र गवाहान का हाजिर परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम से परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 01.02.2025 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनों गवाहान को पढकर सुनाई गई एंव पढने हेतु दी जाकर डिजिटल वायस रिकाँर्डर में रिकाँर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता टेप रिकाँर्डर को आँन कर सुनाई गई। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई। ट्रेप कार्यवाही हेतु एक प्राईवेट वाहन की आवश्यकता होने से टैक्सी स्टेण्ड बाड़मेर से चालक श्री मदनसिंह मय प्राईवेट टैक्सी वाहन नं. आर.जे. 19, टीबी 1054 की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी की गई। कार्यालय हाजा के श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा

ड्राईवरिंग करने से गोपनीयता की दृष्टि से प्राईवेट वाहन की ड्राईवरिंग हेतु श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक को निर्देशित कर उक्त वाहन के चालक श्री मदनसिंह को फारिक किया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री राजपालसिंह कनिष्ठ सहायक व श्री सवाईराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूबरू मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम से आरोपी श्री किशनाराम पटवारी, पटवार मण्डल सिणधरी, अतिरिक्त प्रभार पटवार हल्का कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30,000/- रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी ने 500-500 रूपये के 60 नोट, कुल राशि 30,000 रू. रूबरू गवाहान अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं। 1 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214043 2 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214064 3 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214013 4 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214014 5 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214015 6 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214016 7 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214017 8 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214018 9 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214019 10 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214020 11 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214021 12 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214022 13 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214023 14 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214004 15 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214005 16 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214006 17 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214007 18 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214008 19 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4 VL 205041 20 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9 NF 012880 21 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2 TK 958820 22 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214041 23 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214040 24 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 NH 214042 25 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2 CS 442460 26 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6 AG 019361 27 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 PA 253789 28 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1 MM 115194 29 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6 GC 409082 30 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6 NF 927140 31 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 UU 136881 32 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6 BU 631151 33 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3 WE 153521 34 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 DD 286880 35 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 FF 272986 36 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7 QW 257169 37 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1 BQ 400391 38 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1 VT 000212 39 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9 GR 304650 40 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 0 DK 876718 41 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4 WK 176883 42 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2 PM 062380 43 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9 VW 710430 44 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5 SE 588370 45 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1 BD 361302 46 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6 ER 434670 47 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4 FD 109706 48 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1 MG 493755 49 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1 BQ 684982 50 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 AS 726637 51 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2 DN 007298 52 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7 EF 543325 53 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3 DS 271387 54 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9 AN 740225 55 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2 KS 373942 56 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6 NN 783147 57 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6 WS 411076 58 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3 HE 175789 59 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3 MM 301476 60 एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4 NS 588609 कार्यालय हाजा के मालखाना का श्री सुराब खां हैड़ कानि. नं. 97 से खुलवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मंगवाई जाकर श्री कंवराराम कानि. नं. 37 से उक्त 30,000 रू. के सभी नोटों को कार्यालय कक्ष की टेबल पर एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाऊडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम की जामा तलाशी गवाह श्री सवाईराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नोटों को परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम के पहने हुए कोट के दांहिने साईड के अन्दर की जेब में श्री कंवराराम कानि. से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ आरोपी श्री मूलाराम गोदारा पटवारी के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता है, या छुपाता है, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर पहने हुए साफे को सिर से नीचे उतार कर गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात प्लास्टिक की एक डिस्पोजल साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री कंवराराम कानि. नं. 37 के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का

रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को ऑफिस से बाहर फिंकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास व रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी श्री कंवराराम कानि. नं. 37 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवाई जाकर श्री सुराब खा हैड कानि. नं. 97 से मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ ए. एस.आई., श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री मिश्रीमल हैड कानि. 38, श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. 56, श्री लालाराम कानि. 328, श्री मनोहर कानि. नं. 39, श्री बांकाराम कानि. 584 व शोभसिंह कानि. नं. 35, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री राजपालसिंह व श्री सवाईराम एंव परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. पवनकुमार एवं प्राईवेट वाहन मय श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटाप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर से रवाना होकर कस्वा सिणधरी पंहुचा, पूर्व वार्तानुसार नियत स्थान पर उच्च अफसरान के निर्देशानुसार ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु मामुर श्री किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर हाजिर मिले, प्रस्तावित कार्यवाही के संबध में उप अधीक्षक पुलिस से विचार विमर्ष किया गया, तत्पश्चात इन्हें हमराह लेकर कस्बा सिणधरी स्थित बाडमेर-जालोर स्टेट हाईवे पर आरोपित पटवारी के राजकीय क्वार्टर/पटवार घर के पास पंहुचा, हमराह जाब्ता एंव गवाहान, परिवादी इत्यादि को आगामी कार्यवाही बाबत् ब्रीफ किया गया। जहां से परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम को श्री बांकाराम कानि. के माध्यम से डिजीटल वायस रिकार्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कार्ड के आन कर सुपुर्द कर आरोपित श्री किशनाराम पटवारी से रिश्वती राशि लेन-देन हेतु रवाना आरोपित के राजकीय क्वार्टर की तरफ किया गया। जिनके पीछे-पीछे श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को एडवांस पार्टी के तौर पर परिवादी का गोपनीय ईशारा प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान को अवगत कराने बाबत् मुनासिब हिदायत कर आरोपित पटवारी के क्वार्टर/पटवार घर के पास भेजा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेश समस्त हमराहियान वहीं आस-पास अपनी-अपनी मौजूदगी छिपाते हुए राजकीय एंव प्राईवेट वाहन में ही मौजूद रहकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुआ। कुछ समय पश्चात वक्त 04.45 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम ने जालोर चैराहा सिणधरी के पास स्थित आरोपित श्री किशनाराम पटवारी के राजकीय क्वार्टर/पटवार घर से बाहर आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर पहने हुए साफे को उतारकर एडवांस पार्टी में मामुरा हमराह जाब्ता के श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को कर रिश्वत राशि लेन-देन होने की सूचना दी, जिसके बारे में उसी समय श्री बांकाराम कानि. द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान को अवगत करवाया गया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहियान मय राजकीय वाहन एंव प्राईवेट वाहन के रवाना होकर आरोपित पटवारी के राजकीय क्वार्टर के बाहर खड़े परिवादी के पास पंहुच हमराह जाब्ता के श्री लालाराम कानि. नं. 328 से राजकीय आडियो-विडियो रिकार्डर में पूर्व में डलवाए गए नए मेमोरी कार्ड में ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग प्रारंभ करवाई जाकर निर्देशानुसार परिवादी से पूर्व में दिया गया डिजीटल वायस रिकार्डर श्री बांकाराम कानि. द्वारा प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं की अभिरक्षा में लिया गया, इस दौरान परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम ने अपने हाथ में लिये हुए दस्तावेजात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि अभी-अभी पटवारी किशनाराम ने अपने इसी राजकीय क्वार्टर में मेरी पुत्रवधु के नाम एक बीघा कृषि भूमि का वाणिज्यिक सम्परिवर्तन कराने हेतु मौका रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही कर एस.डी.एम. सिणधरी को पत्रावली पेश कर सम्परिवर्तन आदेश जारी करवाकर मुझे देने की ऐवज में मेरे से पूर्व में तय सुदा रिश्वती राशि 90,000 रू. में से बकाया 30,000 रू. प्राप्त कर अपने पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब में रखकर मुझे मेरी पुत्रवधु श्रीमति हरखूदेवी पत्नि श्री जसाराम के नाम एस.डी.एम. सिणधरी से जारी करवाया गया कन्वर्जन आदेश व नक्षा दिया, जिसे लेकर बाहर आकर मैंने गोपनीय ईशारा किया, आरोपित पटवारी अभी अपने इस क्वार्टर के सामने के प्रथम कक्ष में टेबल-कुर्सी पर बैठा हुआ कोई कागजी कार्यवाही कर रहा हैं। जिस पर परिवादी को हमराह लेकर मय समस्त हमराहियान के परिवादी के बतायेनुसार आरोपित के राजकीय क्वार्टर में प्रवेश किया तो सामने प्रथम कक्ष में ही हल्के ग्रीन रंग की पैण्ट-नीले रंग का शर्ट मय हल्के खाकी रंग का हाफ जैकेट पहने एक व्यक्ति टेबल-कुर्सी पर बैठा हुआ

कागजी कार्य करता हुआ मिला, जिसकी तरफ हाथ से ईषारा कर परिवादी ने बताया कि यही पटवारी किशनाराम हैं। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एंव हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करवाकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री किशनाराम पुत्र श्री लाभूराम, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम आदर्श चवा, तहसील व जिला बाड़मेर, हाल पटवारी, पटवार मण्डल सिणधरी, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा के रूप में दिया। जिस पर आरोपी श्री किशनाराम पटवारी को परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो आरोपी ने परिवादी से जान-पहचान होना बताया, रिश्वती राशि के संबध में कुछ देर तक बिना कुछ बोले निरूत्तर रहा फिर पुनः पूछने पर घबराते हुए बोला कि मैंने तो इनके कन्वर्जन के चालान की राशि ली हैं, रिश्वत नहीं ली हैं। जिस पर आरोपित से परिवादी के भूमि सम्परिवर्तन चालान की राशि के बारे में पूछने पर बताया कि 22000 रू. का चालान बना हैं, तथा शेष राशि के संबध में पूछने पर नीचे नजरें किये हुए निरूत्तर रहा। रिश्वती राशि कहां रखी जाने के बारे में पूछा गया तो परिवादी से पैसे लेना स्वीकार कर अपने पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब की तरफ हाथ से ईषारा किया। इस दौरान आरोपित पटवारी के हाथ में मौजूद उसका मोबाईल कब्जा ब्यूरो लिया जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री सवाईराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी से आरोपित पटवारी श्री किशनाराम के पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड के जेब की तलाशी लिरवाई गई तो उक्त जेब में भारतीय मुद्रा के 500-500 रू0 के नोट रखे पाये गये, जिस पर उक्त राशि को स्वतन्त्र गवाह श्री सवाईराम से ही गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 60 नोट, कुल राशि 30,000 रू0 होना पाया गया। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री राजपालसिंह कनिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह श्री सवाईराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पास सुरक्षित रखवाई गई। आरोपी श्री किशनाराम पटवारी के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए क्वार्टर/पटवार घर में रखे पानी के कैम्पर में से जरिये स्टील गिलास साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री किशनाराम पटवारी के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री किशनाराम पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच-2 अंकित किया गया। आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब में से रिश्वती राशि बरामद होने से उक्त जेब का धोवन लिये जाने हेतु आरोपी के पहनने के लिए उसके क्वार्टर/पटवार घर में से ही एक लोअर की व्यवस्था कर उसे पहनने हेतु दिया जाकर उसके वक्त वाका पहनी हुई पैण्ट को उतरवाकर इसको चैक किया गया तो उक्त हल्के ग्रीन रंग की पैण्ट जिसके आगे की तरफ बांयी साईड अन्दर की तरफ "ऋठ" नाम प्रिण्ट सुदा सफेद रंग की चिट लगी हुई पाई गई। स्वतन्त्र गवाह श्री राजपालसिंह कनिष्ठ सहायक से उक्त पैण्ट के अन्य जेबों की तलाषी लिवाई गई तो पीछे के बांयी साईड की जेब में 4920 रू. मिले, पूछने पर आरोपित पटवारी द्वारा उक्त राशि स्वयं के जेब खर्च की होना बताया, जिसे गवाह श्री राजपालसिंह के पास सुरक्षित रखवाया जाकर पूर्ववत् उक्त पैण्ट के दांहिने साईड की जेब के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्लास्टिक की एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पीने का पानी भरवाया जाकर इस पानी में एक-दो चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी के पैण्ट के दांहिने साईड की जेब को उलटवाकर तीन-चार बार डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित किया गया। बाद उक्त पैण्ट की जेब को बाहर हवा में सुखाने हेतु हमराह जाब्ता के श्री सरदार खां हैड कानि. को सुपुर्द की गई। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री लालाराम कानि. नं. 328 से राजकीय आडियो-विडियो रिकॉर्डर में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड में करवाई गई। इस दौरान मौकास्थल चूंकि सिणधरी-जालोर स्टेट हाईवे पर कस्बा सिणधरी में ही स्थित होने से बाहर हाईवे पर आम लोगों की भीड़ एकत्रित होनी प्रारंभ होने से सुरक्षा दृष्टि के मध्यनजर अग्रिम कार्यवाही नजदीकी पुलिस थाना सिणधरी पंहुच करने का निर्णय लिया जाकर आरोपित पटवारी को हमराह लेकर उसके राजकीय क्वार्टर को तालाबन्द करवाकर राजकीय वाहन में बिठाकर मय समस्त हमराहियान के मौका स्थल से रवाना होकर पुलिस थाना सिणधरी में पंहुच थाने में हाजिर श्री लूणाराम ए.एस.आई. से मौखिक अनुमति प्राप्त कर थानाधिकारी कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपित पटवारी व परिवादी से आवष्यक पूछताछ की

जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री सवाईराम सहायक प्रषासनिक अधिकारी जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 60 नोट, कुल राशि 30,000 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री राजपालसिंह कनिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नंवरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताविक पाये गये। उक्त राशि को एक सफेद कपडे की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क-एम अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात परिवादी के कार्य संबधित दस्तावेजात के बारे में एक बार पुनः आरोपित पटवारी व परिवादी से पूछा गया तो आरोपित पटवारी ने बताया कि इनकी पुत्रवधु श्रीमति हरखूदेवी पत्नि श्री जसाराम के नाम ग्राम धन्ने की ढाणी में कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 834/719 जो बाड़मेर से जालोर जाने वाले स्टेट हाईवे पर स्थित हैं, जिसमें से एक बीघा भूमि के सम्परिवर्तन हेतु मैने समस्त कागजात व रिपोर्ट आदि तैयार कर जरिये चालान राशि 21468 रू. जमा करवाकर श्रीमान एस.डी.एम. सिणधरी को पत्रावली पेश कर दिनांक 28.01.2025 को सम्परिवर्तन आदेश जारी करवाकर आज अभी कुछ देर पहले मैंने परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम से चालान राशि प्राप्त कर उक्त सम्परिवर्तन आदेश व नक्शा सुपुर्द किया था। इस दौरान हमराह जाब्ता के श्री मोहम्मद हनीफ एएसआई एंव थाना स्टाफ मय महिला कानि. के एकलव्य नगर सिणधरी स्थित आरोपित पटवारी के किराये के आवासीय घर को खाना तलाशी लिये जाने के उदेश्य से सुरक्षित कराने हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। एस. डी.एम. सिणधरी से जरिये मोबाईल परिवादी से संबधित भूमि सम्परिवर्तन पत्रावली तलब की जाने पर श्री मगनाराम जांगू एस.डी.एम. आँफिस के गार्ड (होमगार्ड) व श्री विष्णुराम प्रजापत भू-अभिलेख निरीक्षक लीव रिजर्व कार्यवाहक आफिस कानूनगो तहसील कार्यालय सिणधरी निर्देशानुसार परिवादी से संबधित भूमि सम्परिवर्तन पत्रावली व आरोपित का सेवा विवरण लेकर उपस्थित आये। जिनका उक्त दोनों की मौजूदगी में अवलोकन किया गया तो पाया कि उक्त भूमि सम्परिवर्तन (कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ/कॉमर्षियल व शॉप प्रपज) श्रीमति हरखूदेवी पत्नि श्री जसाराम, निवासी धन्ने की ढाणी खेत खसरा न. 834/719, कन्वर्ट एरिया 1618 वर्ग मीटर की मूल पत्रावली पृष्ठ सं. 01 से 27 तक थी, जो प्रकरण में वांछित होने से इसे पृथक से हस्ब कायदा जरिये फर्द पेशकशी कब्जा ब्यूरो लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी प्रकार वक्त घटना परिवादी द्वारा पेश दस्तावेजात जो उसे रिश्वती राशि प्राप्त कर आरोपित पटवारी द्वारा दिये गये थे, का अवलोकन करने पर उक्त एसडीएम सिणधरी द्वारा प्रार्थीया श्रीमति हरखूदेवी पत्नि श्री जसाराम निवासी धन्ने की ढाणी के नाम जारी भूमि सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक एलसी/2024-25/211083 दिनांक 28.01.2025 मय सम्परिवर्तित भूमि का प्रमाणितसुदा नक्षा होना पाया गया, जो परिवादी के अग्रिम घरेलु कार्य हेतु आवष्यक होने से इनकी फोटो प्रति करवाकर इन पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया जाकर मूल ही अग्रिम चाराज़ोही हेतु परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम को पुनः सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात आरोपित पटवारी के वक्त वाका पहनी हुई पैण्ट जो पूर्व में बाद जेब धुलाई के जेब को सुखाने हेतु श्री सुराब खां हैड कानि. को सुपुर्द की गई थी, को प्राप्त कर इसके दांहिने साईड की जेब (रिश्वती राशि बरामदगीस्थल) के अन्दर की तरफ परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम, आरोपी श्री किशनाराम पटवारी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसे एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर भी उक्त संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाए जाकर इस पर मार्क-पी. अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। डिजीटल वायस रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग होना पाया गया, जिसमें आरोपी श्री किशनाराम पटवारी परिवादी के भूमि सम्परिवर्तन आदेश जारी कराने, इस हेतु परिवादी से 60 हजार व 30 हजार रू. सहित कुल 90,000 रू. प्राप्त करने, इसके शुल्क पेटे जरिये चालान करीबन 22000 रू. जमा कराने एंव परिवादी द्वारा शेश राशि किस-किस को देने के बारे में पूछने पर आरोपित पटवारी द्वारा परिवादी से यह कहना कि यह सब आपको पता ही हैं, इत्यादि वार्ता वक्त लेन-देन डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्डिंग होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त लेन-देन वार्तालाप हस्ब कायदा पृथक से मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। परिवादी के मोवाईल का अवलोकन एंव विष्लेशण करने के पश्चात इसे अग्रिम अनुसंधान हेतु खुला ही रखा जाने का निर्णय लिया गया। रिश्वती राशि के अलावा आरोपित के पहनी हुई पैण्ट के पीछे की बांयी जेब में से बरामदा नगद राशि 4920 रू. आरोपित द्वारा स्वयं के जेब खर्च की राशि होना बताया गया था, जो आरोपित का प्रत्युत्तर संतोशजनक होने से उक्त राशि आरोपित को पुनः सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त रिश्वती राशि बरामदगी एंव हाथ धुलाई कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न की जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द रिश्वती राशि बरामदगी एंव हाथ धुलाई आरोपी श्री किशनाराम पटवारी मुर्तिब की जाकर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। तत्पश्चात हस्ब कायदा एकलव्य नगर सिणधरी में स्थित आरोपित पटवारी के किराये के आवासीय मकान एंव राजकीय क्वार्टर/पटवार घर की खाना तलाशियां ली गई एंव रिश्वती राशि बरामदगी/घटनास्थल का निरीक्षण कर उपरोक्त कार्यवाहियों की फर्दे पृथक-पृथक मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात स्वतन्त्र मौतबिरान के रूबरू श्री मगनाराम जांगू एस.डी.एम. आफिस गार्ड (होमगार्ड) व श्री विष्णुराम प्रजापत भू-अभिलेख निरीक्षक लीव रिजर्व कार्यवाहक ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय सिणधरी द्वारा पूर्व निर्देषानुसार प्रकरण में वांछित परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम से संबधित भूमि सम्परिवर्तन कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ/कॉमर्षियल व शाप

प्रपत्र) श्रीमति हरखूदेवी पत्नि श्री जसाराम, निवासी धन्ने की ढाणी खेत खसरा नं. 834/719, कन्वर्ट एरिया 1618 वर्ग मीटर की मूल पत्रावली पृष्ठ सं. 01 से 27 तक पेशसुदा को जरिये फर्द पेशकशी के कब्जा ब्यूरो लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा उक्त पत्रावली की फोटो प्रति करवाकर इन्हें पेशकर्ता श्री विष्णुराम प्रजापत आफिस कानूनगो को कार्यालय रिकार्ड हेतु मय इस फर्द प्रति के सुपुर्द की गई। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन व रिश्वती राशि लेन-देन वार्ताओं की रिकार्डिंग वार्तालापों में आरोपी श्री किशनाराम पटवारी की आवाज पहचान करने हेतु रिकार्डिंग वार्ताओं के महत्वपूर्ण अंश आरोपित के साथ नौकरी करने वाले साथी कार्मिकगण श्री विष्णुराम प्रजापत आफिस कानूनगो व श्री फूलसिंह सहायक प्रषासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय सिणधरी को रूबरू मौतबिरान सुनाये जाकर आरोपित पटवारी के आवाज की पहचान करवाई गई। उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द "आवाज पहचान आरोपी श्री किशनाराम पटवारी" मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम एवं आरोपी श्री किशनाराम पटवारी के मध्य दिनांक 02.02.2025 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में इंस्ट्राल मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB में रिकार्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री मिश्रीमल हैड कानि. के सहयोग से श्री बांकाराम कानि. द्वारा कार्यालय लेपटाप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटाप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित पटवारी के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वायस रिकार्डर में इंस्ट्राल मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB में रिकार्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकार्डिंग हेतु डिजीटल वायस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB को मूल ही डिजीटल वायस रिकार्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क डी अंकित किया गया। इस दौरान आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम द्वारा की गई। इसी प्रकार परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम एवं आरोपी श्री किशनाराम पटवारी के मध्य दिनांक 05.02.2025 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में इंस्ट्राल मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB में रिकार्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री मिश्रीमल हैड कानि. के सहयोग से श्री बांकाराम कानि. द्वारा कार्यालय लेपटाप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटाप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित पटवारी के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वायस रिकार्डर में इंस्ट्राल मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB में रिकार्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। लेन-देन वार्ता की रिकार्डिंग हेतु डिजीटल वायस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB को मूल ही डिजीटल वायस रिकार्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क एल अंकित किया गया। इस दौरान आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम द्वारा की गई। प्रकरण हाजा में उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री किशनाराम पटवारी, पटवार मण्डल सिणधरी, अतिरिक्त प्रभार पटवार मण्डल कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने से प्रथमतः आरोपी श्री किशनाराम पुत्र श्री लालाराम, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, पैषा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम आदर्ष चवा, तहसील व जिला बाड़मेर, हाल पटवारी, पटवार मण्डल सिणधरी, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार इसके स्टाफ साथी श्री विष्णुराम प्रजापत ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय सिणधरी को रूबरू दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो एंव चैक लिस्ट अन्तर्गत धारा 35(1)B(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी हस्ब कायदा पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम की उपस्थिति में वक्त ट्रेप कार्यवाही रिश्वती राशि की बरामदगी एंव हाथ धोवन कार्यवाही तथा आरोपित के किराये के रहवासीय मकान तथा राजकीय क्वार्टर (आफिस) की खाना तलाशी कार्यवाही की राजकीय आडियो-विडियो रिकार्डर में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB में श्री लालाराम कानि. के माध्यम से आडियो-विडियो

रिकार्डिंग करवाई गई थी, श्री लालाराम कानि. नं. 328 के माध्यम से ही उक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB मूल ही राजकीय आडियो-विडियों रिकार्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रिकार्डिंग आडियो-विडियो रिकार्डिंग की कार्यालय लेपटाप के माध्यम से श्री लालाराम कानि. न. 328 द्वारा मन् एएसपी के निर्देशन में हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। तत्पश्चात रूबरू मौतबिरान एंव परिवादी के उक्त मेमोरी कार्ड में विद्यमान उक्त कार्यवाही के आडियो-विडियो रिकार्डिंग की कार्यालय लेपटाप के माध्यम से रिश्वती राशि की बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही का एक डब मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी तथा आरोपित के किराये के रहवासीय घर तथा राजकीय क्वार्टर (आफिस) की खाना तलाषी कार्यवाही के अलग-अलग दो डब मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी तैयार करवाये गये, मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क ओवि अंकित किया गया। तावाद राजकीय चिकित्सालय सिणधरी से गिरफ्तार सुदा अभियुक्त श्री किशनाराम का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। मौके की उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न कर श्री किशनसिंह उप अधीक्षक पुलिस को बमुकाम सिणधरी से ही जाय तैनाती हेतु फारिक कर मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई., श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री मिश्रीमल हैड कानि. 38, श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. 56, श्री लालाराम कानि. 328, श्री मनोहर कानि. नं. 39, श्री बांकाराम कानि. 584 व शोभसिंह कानि. नं. 35., दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री राजपालसिंह व श्री सवाईराम, परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरो न. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. पवनकुमार एवं प्राईवेट वाहन मय श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक के गिरफ्तार सुदा अभियुक्त श्री किशनाराम पटवारी को हमराह लेकर प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटाप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स मय मालखाना आईटम्स आर.एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, पी.-1, पी.-2, सील्ड सुदा रिश्वती राशि 30,000 रू. का पैकेट मार्क-एम, आरोपित के पैण्ट का सील्डयुक्त पैकेट मार्क-पी., वार्ताओं एंव आडियो-विडियो रिकार्डिंग के मेमोरी कार्ड एंव डब सीडियां, आरोपित का मोबाईल आदि एवं अन्य आवश्यक सामग्री के पुलिस थाना सिणधरी से रवाना होकर सरहद ग्राम धन्ने की ढाणी पंहुचा, अग्रिम कार्यवाही में परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम की आवष्यकता नहीं होने से परिवादी को बमुकाम ग्राम धन्ने की ढाणी स्टेट हाईवे बाडमेर-जालोर पर फारिक कर इसी गांव में स्थित स्वयं के घर की तरफ रूखसत किया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष समस्त हमराहियान के रवाना सुदा एसीबी ओपी बाडमेर पंहुच प्रकरण की कार्यवाही के दौरान संकलित समस्त मालखाना आईटम्स प्रभारी मालखाना श्री सुराब खां हैड कानि. नं. 97 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री राजपालसिंह कनिष्ठ सहायक व श्री सवाईराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी को फारिक कर गन्तव्य हेतु रूखस्त दी गई। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री किशनाराम पटवारी, पटवार मण्डल सिणधरी, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद् का दुरूपयोग कर भ्रष्ट व अवैध तरीके से परिवादी श्री रतनसिंह उर्फ पोकराराम की पुत्र वधु श्रीमति हरखूदेवी पत्नि श्री जसाराम के ग्राम धन्ने की ढाणी, पटवार मण्डल कमठाई में बाड़मेर-जालोर स्टेट हाईवे पर स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 834/719 में से एक बीघा कृषि भूमि का वाणिज्यिक सम्परिवर्तन कराने हेतु मौका रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही कर एस.डी.एम. सिणधरी को पत्रावली पेश कर सम्परिवर्तन (कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ/कामर्षियल व शॉप प्रयोजन) आदेश जारी करवाकर परिवादी को देने की एवज में परिवादी से 90,000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर पूर्व में 60,000 रू. प्राप्त किये गये एंव दिनांक 06.02.2025 को उक्त तय राशि में से शेष 30,000 रू. रिश्वती राशि लेते हुए को तहसील कार्यालय सिणधरी के पास स्थित स्वयं के राजकीय क्वार्टर/पटवार घर में रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाने से आरोपित के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री किशनाराम पुत्र श्री लाभूराम, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम आदर्श चवा, तहसील व जिला बाड़मेर, हाल पटवारी, पटवार मण्डल सिणधरी, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (नरेन्द्रकुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर............कार्यवाही पुलिस..................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बाड़मेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री किशनाराम पुत्र श्री लाभूराम, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम आदर्श चवा, तहसील व जिला बाड़मेर, हाल पटवारी, पटवार मण्डल सिणधरी, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र डूकिया,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 96 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।क्रमांक 131–34 दिनांक 06.02.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2.उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 3.जिला कलक्टर, बालोतरा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DHARMENDRA DUKIYA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 06.02/2025

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/03/1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी भरे किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)